बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या : FSC/100/2016 – 622(15) पटना, दिनांक : 4/6/15

Food Safety & Standards (Licensing & Registration of Food Bussinesses) Regulations, 2011 के Sub-Regulations- 2.1.15 में प्रावधानानुसार राज्य स्तर पर खाद्य संरक्षा के संबंध में परामर्शदात्री समिति का पुर्नगठन किया जाता है। यह परामर्शदात्री समिति खाद्य संरक्षा आयुक्त को खाद्य संरक्षा से संबंधित सहायता, अनुदान एवं परामर्श के संबंध में नियमित रूप से समन्वय का कार्य करेगी।

2. गठित की गयी **"राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति"** में निम्नांकित विभागों/समितियों के सदस्य होंगे:–

राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति (State Level Advisory Committee , SLAC)

1	**मुख्य सचिव, बिहार सरकार**	**अध्यक्ष**
2	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	**उपाध्यक्ष**
3	खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार	**सदस्य सचिव**
4	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
8	प्रधान सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
9	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
10	सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	सदस्य
11	सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	सदस्य
12	अपर महानिदेशक, आरक्षी	सदस्य
13	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग (प्रभारी खाद्य संरक्षा)	सदस्य
14	राज्य सरकार या एसोसियन ऑफ फुड साईन्टिस्ट एण्ड टेक्नॉजिस्ट ऑफ इंडिया (AFSTI) द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
15	राज्य सरकार अथवा IMA/ IDA/ NSI द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
16	CII / FICCI / ASSOCHAM / AFTI / Indian Chamber of Commerce के प्रतिनिधि	सदस्य
17	उपभोक्ता संगठन के दो प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

3. उक्त समिति से खाद्य संरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं सलाह/सहयोग अपेक्षित हैं, जो निम्नलिखित है :–

(क) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संस्थापित नियमों एवं खाद्य संरक्षा प्राधिकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

(ख) खाद्य व्यापारियों का समय–समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था करना एवं राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाकर सभी खाद्य व्यापारियों को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत् अनुज्ञप्ति प्राप्त करने/पंजीकृत करने का कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ग) समुचित ढ़ग से खाद्य संरक्षा से संबंधित नियमों/निर्देशों के अनुपालन हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित एवं पूरी अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं उनके उचित प्रशिक्षण एवं विकास पर ध्यान देना।

(घ) राज्य के खाद्य जाँच प्रयोगशाला को आवश्यक मशीन/उपकरणों एवं पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं प्रयोगशाला को NABL से ससमय प्रमाणिकरण कराया जाना सुनिश्चित कराना।

(ड.) खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय एवं अभिहित अधिकारी के कार्यालय में नमूनों के रख–रखाव हेतु आवश्यक उपकरणों एवं मानवबल की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(च) राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार खाद्य उत्पादों की सावधिक निगरानी की योजना बनाना एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के निगरानी हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।

(छ) राज्य स्तर पर खाद्य संरक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रर्वतन, खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रहण, अभियोजन एवं न्याय निर्णायण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(ज) राज्य स्तर पर खाद्य संरक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों/जनशिकायतों को निराकरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाना एवं टॉल फ्री नम्बर की व्यवस्था करना।

(झ) राज्य स्तर पर खाद्य व्यापारियों को FoSTaC के अंतर्गत प्रशिक्षण दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ञ) विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से नागरिकों को खाद्य संरक्षा कार्यक्रम से अवगत कराना, यथा – Eat Right Movement, Safe & Nutritious Food initiatives (SNF @School, SNF @Workplace, SNF@ Home), BHOG, Clean Street Food Hub, etc.

(ट) मध्याह्न भोजन योजना, बाल विकास समेकित कार्यक्रम एवं अन्य जन सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत सुदृढ़ खाद्य (Fortified Food) के उपयोग को स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान एवं आयुष्मान भारत जैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्नयन कराने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ठ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला स्तर पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानक स्तरीय उत्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाना एवं समय–समय पर अनुश्रवण करना।

(ड) दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों के प्रति जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन कराना एवं उसकी देख–रेख हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ढ़) खाद्य संरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना एवं खाद्य/पेय पदार्थों में अपमिश्रण की रोक थाम हेतु विशेष निर्देश देना।

(ण) जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के कार्यों की समीक्षा करना।

4. राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक अर्द्धवार्षिक या अध्यक्ष महोदय के बुलावे पर कभी भी मनोनीत सदस्यों की बैठक आयोजित करना तथा खाद्य संरक्षा कार्यक्रम से संबंधित मंतव्य/मार्गदर्शन समिति के पटल पर रखना।

5. उक्त समिति की बैठक में 1/3 सदस्यों के भाग लेने पर बैठक पूर्ण मानी जाएगी।

6. अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार समिति के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

7. पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या – 04, दिनांक – 18.01.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(कौशल किशोर)

सरकार के अपर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसधारण के लिए अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 प्रतियाँ खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाए।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर महानिदेशक आरक्षी, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि – निदेशक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि – समिति के अन्य सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर समाहर्त्ता–सह–न्याय निर्णायक पदाधिकारी/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – FSC/100/2016 6221(5) पटना, दिनांक – 4/6/15

प्रतिलिपि – आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/5/15
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।